


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

रामलाल बनाम एस डी ओ फागी व अन्य

केस संख्या : 139/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
25.08.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी फागी के पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 54/2022 व टी आई संख्या 40/2022 व उनवानी रामलाल बनाम नरेन्द्र व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी फागी के पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	

  
(प्रकाश राजपुरोहित)